न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2017

अनवान :

1. हरिसिंह पुत्र मला उर्फ मलूराम जाति जाट निवासी गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
2. गोपी पुत्र मला उर्फ मलूराम जाति जाट निवासी गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. कृष्ण कुमार वल्द फूलाराम जाति जाट निवासी गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मदनलाल कड़वासरा : **वादी**

वकील श्री लीलाधर अग्रवाल – **प्रतिवादी सं0 2 व 3**

निर्णय **दिनांक :** 2/5/18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 47/45 के मु0नं0 23 का किला नं0 1, 2, 9 ता 12 मु0नं0 24 का किला नं0 4, 5, 6, 15 की कुल खसरा सं0 10 कुल क्षेत्रफल 2.53 है0 जो शामिल खाते की कृषि भूमि है।

उक्त भूमि में वादी का नाम हरिसिंह के स्थान पर सिंगा दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम सभी दस्तावेजों में हरीसिंह है। उक्त नाम सिंगा रह जाने के कारण वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं मिल पाती है।

वादी के नाम चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 48/44 के मु0नं0 24 के किला नं0 16 ता 25, मु0नं0 25 का किला नं0 16, 17, 24, 25 मु0नं0 29 का किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17 मु0नं0 30 का किला नं0 1 ता 4, 10/2, 11/2, 20/2 कुल खसरा सं0 29 कुल क्षैत्रफल 7.211 है0 में वादी का नाम हरिसिंह दर्ज है। जबकि उपरोक्त खाता सं0 47/45 में हरिसिंह के स्थान पर सिंघा दर्ज हो गया, क्योंकि गांव में बोलचाल की भाषा में हरिसिंह को ही हरसिंघा बोलते – बोलते सिंगा दर्ज कर दिया। उक्त कृषि भूमि सम्बंधि राजस्व रिकार्ड सन् 2029 से 38 में भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड की भांति खाता सं0 158 में सिंगा व खाता सं0 139 में हरिसिंह नाम दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने इकबाल दावे पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी स्वयं हरिसिंह पुत्र मला उर्फ मलूराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, 2 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, 4 व असल प्रति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत निनाण प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी का सही नाम हरिसिंह है व बोल चाल की भाषा में हरसिंघा व सिंगा बोले जाने के कारण रिकार्ड में भी सिंगा नाम दर्ज हो गया जिससे वर्तमान जमाबन्दी में हरिसिंह के स्थान पर सिंगा दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार कर वादी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 11 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला खाता सं0 158 सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 वादी का नाम सिंगा दर्ज चला आ रहा है व इसी प्रकार इस खाता में दर्ज सिंगा नाम की प्रविष्टि वर्तमान खाता सं0 47/45 में भी उसी प्रकार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में स्वयं वादी हरिसिंह ने अपने शपथ पत्र में कृष्ण कुमार ने वादी का सही व वास्तविक नाम हरिसिंह होना जाहिर किया है एवं सरपंच ग्राम पंचायत निनाण ने भी अपने प्रमाण पत्र में हरिसिंह उर्फ सिंगाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना अंकित किया है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य खाता के राजस्व रिकार्ड फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 11 जोगीवाला खाता सं0 139 सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 में वादी का नाम हरिसिंह दर्ज है जिससे भी वादी के सही व वास्तविक नाम की पुष्टि होती है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 47/45 में सिंगा के स्थान पर हरिसिंह उर्फ सिंगा खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार सिंगा के स्थान पर हरिसिंह उर्फ सिंगा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि में बैंक के रहन है तो रहन यथावत् रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्याायलय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री रांजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 91/2017

अनवान :

1. हरिसिंह पुत्र मला उर्फ मलूराम जाति जाट निवासी गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
2. ग्रोपी पुत्र मला उर्फ मलूराम जाति जाट निवासी गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. कृष्ण कुमार वल्द फूलाराम जाति जाट निवासी गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कडवासरा एवं वकील प्रतिवादी सं0 2 व 3 श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के वर्तमान खाता सं0 47/45 में सिंगा के स्थान पर हरिसिंह उर्फ सिंगा खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार सिंगा के स्थान पर हरिसिंह उर्फ सिंगा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि में बैंक के रहन है तो रहन यथावत् रखा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/5/18..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़